राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3425/2025

चंद्रप्रकाश मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. शासन उप–सचिव तृतीय, नगर विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा।
4. सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2025
आदेश की दिनांक : 08.08.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार नगरीय विकास विभाग ने दिनांक 10.02.2010 को कनिष्ठ अभियंता डिग्रीहोल्डर सिविल के पद हेतु विज्ञप्ति जारी की थी। जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.11.2010 द्वारा कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विकास प्राधिकरण के पद पर नियुक्त किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 22.11.2010 को कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी की पदोन्नति सहायक अभियंता के पद पर की गई तथा उसके बाद अधिशाषी अभियंता के पद पर की गई। कार्यग्रहण करने के पश्चात् अपीलार्थी का आदेश दिनांक 22.11.2010 के द्वारा स्थानान्तरण नगर न्यास, कोटा में किया गया। जिसको वर्तमान में कोटा विकास प्राधिकरण में परिवर्तित किया गया है। अपीलार्थी को दिनांक 23.11.2010 को अपीलार्थी को कोटा के लिए कार्यमुक्त किया गया एवं अपीलार्थी ने दिनांक 24.11.2010 को कोटा में कार्यग्रहण किया। राज्य सरकार ने भरतपुर विकास प्राधिकरण का गठन करने के पश्चात् आदेश दिनांक 30.12.2024 के द्वारा स्वीकृत पदों का आदेश जारी किया। जिसमें भरतपुर विकास प्राधिकरण में अधिशाषी अभियंता सिविल के 3 पद स्वीकृत है। जिन पर पूर्व से ही जगदीश शर्मा, जितेन्द्र नील व बहादुर सिंह, दुर्गाप्रसाद शर्मा, बृजेश सिंह कार्यरत् है तथा वर्तमान में दिनांक 15.07.2025 को बनवारी लाल शर्मा को भी भरतपुर विकास प्राधिकरण के लिए कार्यमुक्त किया गया है। जहां पर स्वीकृत 3 पदों से 3 अतिरिक्त अधिशाषी

अभियंता कार्यरत् हो गये है तथा अपीलार्थी का भी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण से भरतपुर विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरण किया है। जिसकी पालना में अपीलार्थी को आलौच्य कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 03.04.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। (अनुलग्नक–1 व 2) अपीलार्थी मूल कार्मिक जयपुर विकास प्राधिकरण का है तथा अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण कोटा विकास प्राधिकरण में कार्यग्रहण करने के पश्चात् स्थानान्तरण किया था। कोटा विकास प्राधिकरण में 10 अधिशाषी अभियंता के पद स्वीकृत है, जिन पर 8 ही कार्यरत् है। दो पद पूर्व से ही रिक्त चल रहे है। फिर भी आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए बिना प्रशासनिक आवश्यकता के प्रत्यर्थी सं. 2 ने स्थानान्तरण किया है। आदेश दिनांक 16.07.2013 के द्वारा अपीलार्थी का नियमितीकरण नगर विकास विभाग द्वारा किया गया तथा कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाओं को नियमित करने के पश्चात् यह भी आदेश जारी किया कि कनिष्ठ अभियंता संबंधित प्राधिकरण एवं न्यासों के कार्मिक माने जायेंगे। अपीलार्थी नियुक्ति दिनांक से कोटा विकास प्राधिकरण में आवंटन के पश्चात् पदस्थापित किया गया था। इसलिए अपीलार्थी कोटा विकास प्राधिकरण का ही कार्मिक माना जायेगा तथा जिन अभियंताओं को न्यासों/प्राधिकरण में पदस्थापित किया गया था, वे नगर विकास न्यास/प्राधिकरण के ही कार्मिक माने जायेंगे। (अनुलग्नक–7) नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 31.12.2024 (अनुलग्नक–8) के द्वारा स्वीकृत व सृजित पदों के आदेश जारी किये। जिसमें भरतपुर विकास प्राधिकरण में अधिशाषी अभियंता सिविल के 3 पद स्वीकृत किये गये है। जहां पर आदेश दिनांक 04.06.2025 (अनुलग्नक–9) के द्वारा जगदीश शर्मा को व जितेन्द्र नील को भरतपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थापित कर रखा है तथा आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–10) के द्वारा बनवारी लाल शर्मा को भी अधिशाषी अभियंता सिविल के पद पर भरतपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थापित कर रखा है तथा पूर्व से ही बहादुर सिंह, दुर्गा प्रसाद शर्मा व बृजेश सिंह अधिशाषी अभियंता सिविल के पद पर भरतपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत् है। स्वीकृत पदों से 3 अधिशाषी अभियंता अधिशेष रूप से कार्यरत् है तथा आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को भी अधिशेष करने के आशय से भरतपुर विकास प्राधिकरण में आलौच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किया है। जो बिना रिक्त पद के किया गया है। माननीय अधिकरण ने अपील सं. 2351/2025 डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा बनाम चिकित्सा विभाग में दिनांक 02.04.2025 (अनुलग्नक–11) को तथा अपील सं. 879/2024 मांगीलाल बनाम राजस्व विभाग में दिनांक 19.03.2024 (अनुलग्नक–12) को बिना रिक्त पद के स्थानान्तरण करने पर अवैध व अनुचित

मानते हुए स्थगन आदेश जारी किया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 व 03.04. 2025 को निरस्त किया जावे एंव अपीलार्थी को यथावत् अधिशाषी अभियंता सिविल के पद पर कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा में ही पदस्थापित रखा जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1), जिसके द्वारा स्थानान्तरण कोटा विकास प्राधिकरण से भरतपुर विकास प्राधिकरण में किया गया है एवं आदेश दिनांक 03.04.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण में अधिशाषी अभियंता (सिविल) के कुल 3 पद स्वीकृत है। जिन पर पहले से ही स्वीकृत पदों से ज्यादा अधिशाषी अभियंता कार्यरत है। साथ ही उनका निवेदन है कि अपीलार्थी कोटा विकास प्राधिकरण का कार्मिक है इसलिए उसका स्थानान्तरण भरतपुर विकास प्राधिकरण में नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर आलौच्य आदेश को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता सिविल के पद पर कार्यरत है। भरतपुर विकास प्राधिकरण में अधिशाषी अभियंता (सिविल) के 3 पद स्वीकृत है। अपील के अनुसार अधिशाषी अभियंता सिविल के पद पर पूर्व से श्री जगदीश शर्मा, जितेन्द्र नील, बहादुर सिंह, दुर्गाप्रसाद शर्मा एवं बृजेश सिंह कार्यरत है और बनवारी लाल शर्मा को भरतपुर विकास प्राधिकरण के लिए कार्यमुक्त किया गया है। इस प्रकार पहले से ही 3 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 6 कार्मिक कार्यरत होने का कथन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि श्री जितेन्द्र नील अधिशाषी अभियंता (विद्युत) है। बनवारी लाल शर्मा अधिशाषी अभियंता किस खण्ड अर्थात सिविल या (विद्युत) में है स्पष्ट नहीं है। साथ ही अन्य कार्मिक श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिशाषी अभियंता (सिविल) के पद पर भरतपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थापित किया गया है। शेष लोक सेवकों यथा बहादुर सिंह, दुर्गाप्रसाद एवं बृजेश शर्मा के भरतपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थापित होने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण में स्वीकृत पदों से ज्यादा अधिशाषी अभियंता (सिविल) पदस्थापित है। अपीलार्थी का यह कथन भी मानने योग्य नहीं है कि

अपीलार्थी कोटा विकास प्राधिकरण का कार्मिक है क्योंकि उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति नगरीय विकास एवं आवासन विकास द्वारा की गई है। पूर्व में उसके स्थानान्तरण के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य